मराठा आरक्षण : 29 अगस्त के आंदोलन की रणनीति के लिए मनोज जरांगे की विशेषज्ञों के साथ बैठक

मुंबई,16 अगस्त। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के जालना जिले में 29 अगस्त से शुरू होने वाले मराठा आरक्षण आंदोलन की रुपरेखा और रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के साथ एक महत्त्वपूर्ण बैठक की। जरांगे के पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में आयोजित इस बैठक में सरकार को पूर्व में सौंपे गए मांग पत्रों, उनके कानूनी पहलुओं और सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर गहन चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जरांगे ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर मौजूदा शासनादेश (जीआर) में हुई गलतियों को स्वीकार करना चाहिए।

'केंद्र को सदन में मौजूदा सीट पर ही महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए'

चेन्नई, 16 अगस्त (भाषा)।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता ईवीकेएस एलंगोवन ने लोकसभा में सीट संख्या बढ़ाकर महिला आरक्षण लागू करने में हो रही देरी को महिलाओं का 'अपमान' बताते हुए रविवार को जोर देकर कहा कि केंद्र को सदन में मौजूदा सीट संख्या के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू करना चाहिए। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को धोखा देने का आरोप भी लगाया।

द्रमुक नेता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पेश किया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका विरोध किया था। एलंगोवन ने सेवा से बातचीत में तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली सरकार के पहले 100 दिनों के कार्यकाल के प्रदर्शन की भी आलोचना की। उन्होंने लोकसभा सीट संख्या बढ़ाने के साथ 33 फीसद महिला आरक्षण को जोड़ने के केंद्र के तर्क की आलोचना की। एलंगोवन ने कहा कि उन्हें (केंद्र सरकार को) मौजूदा सीट पर ही महिला आरक्षण लागू करना चाहिए। उन्होंने सीट संख्या बढ़ाने में हो रही देरी को 'महिलाओं का अपमान' बताया। द्रमुक नेता ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर निशाना साधते हुए टीवीके सरकार के पहले 100 दिनों के कथित खराब प्रशासनिक प्रदर्शन की आलोचना की और इसे 'शून्य' बताया। एलंगोवन ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार ने केवल मौजूदा योजनाओं के नाम बदलने का काम किया है।

> द्रमुक नेता ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पेश किया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका विरोध किया था।

कैग रिपोर्ट के बाद रेलवे ने पानी की गुणवत्ता की बढ़ाई निगरानी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 अगस्त।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में रेलवे के पेयजल को लेकर उठाए गए सवाल के बाद निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया क्या है। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय भी उठाए गए हैं।

इस मुद्दे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे नेटवर्क में करीब 20 हजार स्थानों पर नया 'टैंक से नल' जल शोधन और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके तहत पानी के स्रोत से लेकर यात्रियों तक पहुंचने वाले नल तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाएगी।

व्यक्तिगत

मैं, अब्दुल रहमान मोहम्मद नफीसुद्दीन, निवासी मौदहा, हमीरपुर (उ.प्र.), ने अपना नाम मोहम्मद नफीसुद्दीन अब्दुल रहमान से बदलकर अब्दुल रहमान मोहम्मद नफीसुद्दीन कर लिया है। शपथ-पत्र दिनांक-15/06/2026, नोटरी पब्लिक, मौदहा के समक्ष निष्पादित।
पुराना नामः मोहम्मद नफीसुद्दीन अब्दुल रहमान, **नया नामः** अब्दुल रहमान मोहम्मद नफीसुद्दीन

Classifieds
EXPRESS EDUCATION
ANTHRO
Classroom Batches: Aug 18, Aug 27
Batch Highlights
300+ Answers Prepared & Evaluated
Test Series Included
1-to-1 Mentoring
PYQs Analysis
Full Support Till Success
Recordings Available for Online Students
IAS 2025
Harsh Nehara AIR 74 303/500
5 OF OUR CLASSROOM STUDENTS SCORED 290+
Anthro Sampoorna Test Series
40 Tests | 1-to-1 Mentorship| Model Answer Content
VAID'S ICS, DELHI
For details visit www.vaidsics.com or call 953 800 1600
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
(M): 9212665841, 9212008155

सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : एफ-32/3, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020
सीआईएन : L26943DL1992PLC457936; ई-मेल आईडी : secretarial@surajindustries.org
वेबसाइट : www.surajindustries.org, फोन : 011-42524455

सार्वजनिक विज्ञापन - प्रस्तावित अन्तरण

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कंपनी'), जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-32/3, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020 में है, को अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, सेबी परिपत्र संख्या **SEBI/HO/MIRSD/DOS3/CIR/P/2018/139** दिनांक 6 नवंबर, 2018, सेबी परिपत्र संख्या **SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97** दिनांक 2 जुलाई, 2025, और सेबी परिपत्र संख्या **HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026** दिनांक 30 जनवरी, 2026,के अनुसार, मौजूदा प्रतिभूति धारकों के नाम में रखी गई प्रतिभूतियों को प्रस्तावित अंतरणकर्ता(ओं) के नाम पर अंतरित करने के लिए, जैसा कि नीचे दिया गया है, आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ एक अनुरोध प्राप्त हुआ हैः

क्र. नं.	फो लियो नं.	प्रतिभूति का प्रकार एवं अंकित मूल्य	प्रमाणपत्रों के अनुसार प्रतिभूति धारक का नाम	धारक का पंजीकृत पता	शेयरों की संख्या	विशिष्ट नं.	प्रस्तावित अंतरिती के नाम	प्रस्तावित अंतरिती का पता
01	1073	रु. 10/- प्रत्येक के इक्विटी और अंकित मूल्य	हरचरण सिंह	वाया आशीष प्रसाद II-सी/143 नेहरू नगर, गाजियाबाद-201001	100	04414101-04414200	राधेश्याम गुप्ता	106ए, राधेपुरी एक्सटेंशन II, कृष्णा नगर एचओ, पूर्वी दिल्ली- 1100051

उपरोक्त प्रतिभूतियों के संबंध में किसी भी आपत्ति, दावे, अधिकार, स्वामित्व या हित वाले किसी भी व्यक्ति से अनुरोध किया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर कंपनी के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय में इसे दर्ज करे, साथ ही इस तरह के दावे/आपत्ति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी दें। दावे/आपत्तियों को **secretarial@surajindustries.org** पर ईमेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को यहां प्रस्तुत किया जा सकता हैः
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास, नई दिल्ली-110062.
यदि उपरोक्त अवधि के भीतर कोई वैध दावा या आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी और सूचना या सूचना के, प्रस्तावित अंतरिती (प्रतिभूतियों) के पक्ष में उपरोक्त प्रतिभूतियों के प्रस्तावित अंतरण के साथ आगे बढ़ेगी।

सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्नेहलता शर्मा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांकः अगस्त 14,2026
स्थानः नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

4 थी मंज़िल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

[बैंक और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 12 और 13 के अंतर्गत सूचना
मामले में:
टी.ए. सं.: 594/2024 दिनांकः 18.06.2026

पंजाब नेशनल बैंक ...आवेदक
बनाम
मैसर्स शिव प्रसाद एवं अन्य ...प्रतिवादी

सेवा में, डी1. श्री शिव प्रसादः 2/56, पहली मंजिल, पुराना महावीर नगर, पोड़ीवाला गुरुद्वारे के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली-18
डी2. मैसर्स मोरफियस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेडः मकान नंबर 1, शिव मंदिर वाली गली, मौजपुर, दिल्ली-53
जैसा की उपरोक्त नामित आवेदक/कों ने **रु. 30,01,185.86/- (रू. तीस लाख एक हजार एक सौ पचासी और छियासी पैसे मात्र)** की वसूली हेतु आपके विरुद्ध मामला दाखिल किया है, और जैसा की अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह सिद्ध हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सूचना देना संभव नहीं है, अतः इस विज्ञापन द्वारा सूचना दिया जाता है कि आप 03.11.2026 को प्रातः 11:00 बजे अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।
ध्यान दें कि यदि आप उक्त तिथि को उपस्थित नहीं होते हैं तो मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही किया जाएगा। सभी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या भौतिक रूप से की जाएगी और इसके लिएः
(I) सभी अधिवक्ता/याचिकाकर्ता "Cisco Webex" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे।
(II) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सुनवाई की तारीख हेतु "मीटिंग आईडी" और पासवर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर दैनिक कॉज लिस्ट में प्रदर्शित किया जाएगा।
(III) किसी भी आपात स्थिति/कठिनाई के संबंध में अधिवक्ता/याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारी से फोन नं. 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत आज दिनांक 18 जून 2026 को जारी।

अधिकरण के आदेश से,
अनुभाग अधिकारी
डीआरटी-II, दिल्ली

कब्जा सूचना

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, आर्सिल ट्रस्ट - 2025सी-009 (आर्सिल) के न्यासी के रूप में कार्यरत के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधकधारकों से राशि चुकाने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः
उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओ) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को "जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम/ट्रस्ट का नाम/बैंक का नाम	मांग सूचना का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि
1	उधारकर्ताः नरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव और शालिनी श्रीवास्तव (लेनः HL00044100000005013303) आर्सिल-2025सी-009-ट्रस्ट	रुपये 40,57,751.51 (रुपये चालीस लाख सत्तावन हजार सात सौ इक्यावन और पैसे इक्यावन मात्र) दिनांक 17-03-2026 तक और साथ में उक्त राशि पर दिनांक 18-03-2026 से संविदात्मक दर पर भावी ब्याज सहित तथा आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित सूचना दिनांकः 17-03-2026	12.08.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणः समस्त वह भाग या अंश जाकि अचल संपत्ति/ईडब्ल्यूएस प्लॉट सं. आई.डी. 442, सेक्टर डी, जिसका क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मीटर विक्रय विलेख सं. 8227, दिनांक 08.08.2023 के अनुसार, नैनी आवास योजना, परगना- अरैल एवं तहसील करछना, प्रयागराज, इलाहाबाद उक्त वर्णित अचल संपत्ति की चतुर्सीमा निम्नानुसार है : पूर्वः ईडब्ल्यूएस मकान सं. आई.डी. 429, पश्चिमः 7.50 सड़क, उत्तरः ईडब्ल्यूएस मकान सं. आई.डी. 443, दक्षिणः ईडब्ल्यूएस मकान सं. आई.डी. 441, संपत्ति का स्वामित्व सालिनी श्रीवास्तव के पास है, जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।		
2	उधारकर्ताः मनीष पांडे और गीता पांडे (लेनः HF0044H21100216) आर्सिल-2025सी-009-ट्रस्ट	रुपये 35,07,692.68 (रुपये पैंतीस लाख सात हजार छह सौ बान्वे और पैसे अडसठ मात्र) दिनांक 17-03-2026 तक और साथ में उक्त राशि पर दिनांक 18-03-2026 से संविदात्मक दर पर भावी ब्याज सहित तथा आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित सूचना दिनांकः 17-03-2026	12.08.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणः समस्त वह भाग या अंश जाकि अचल संपत्ति/मकान सं. 327/85ए, मोहल्ला बेनीगंज, परगना एवं तहसील सदर, प्रयागराज (इलाहाबाद), क्षेत्रफल 45.21 वर्ग मीटर, ग्रिल सहित भूमि, जो 83.7 वर्ग मीटर है (भूतल 41.85 वर्ग मीटर और प्रथम तल 41.85 वर्ग मी.), उक्त वर्णित अचल संपत्ति की चतुर्सीमा निम्नानुसार है - पूर्वः सुमेसर प्रसाद का मकान, पश्चिमः ललता का मकान, उत्तरः 5 फीट चौड़ी गली, दक्षिणः लल्ली का मकान। संपत्ति का स्वामित्व गीता पांडेय के पास है, जिसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।		

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के बैच कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा। उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
आर्सिल ट्रस्ट - 2025सी-009 ट्रस्ट ("आर्सिल") के न्यासी

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 17.08.2026

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028. फोन : +91 2266581300
शाखा कार्यालयः यूनिट नं. 211 और 212, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 28/2, जेनिथ कॉम्प्लेक्स, के. एम. गांधी पथ, शिवाजी नगर, पुणे 411005, महाराष्ट्र

सार्वजनिक सूचना

(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 102 के तहत)

कामा ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर सुश्री रश्मि यादव के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	व्यक्तिगत गारंटर का नाम	सुश्री रश्मि यादव
2.	व्यक्तिगत गारंटर का पता	एफ-4, ग्राउंड फ्लोर, रेक्ट-7 किला-15 और 16, गली नं. 1, अंकुर एन्क्लेव दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली-110094
3.	व्यक्तिगत गारंटर के संबंध में दिवाला कार्यवाही प्रारंभ होने की तारीख	10.08.2026 (आदेश की प्रति 11.08.2026 को प्राप्त हुई)
4.	आवेदन स्वीकार करने वाले आदेश का विवरण	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 95(1) और इसे NCLT Bench-V, द्वारा दिनांक 06.03.2024 के अपने आदेश के माध्यम से स्वीकार किया गया है C.P. (IB) 21/ND/2024
5.	समाधान पेशेवर के रूप में कार्य कर रहे दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री देवाशीष नंदा IP Reg. No.: IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316
6.	बोर्ड के पास पंजीकृत समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल	फ्लैट नं. CS-14, सी-फ्लोर, अंसल प्लाजा, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010 ईमेलः- dnanda.cma@gmail.com
7.	समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	सी-14, तीसरी मंजिल, एसएम प्लाजा, सेक्टर-15, वसुंधरा, गाजियाबाद - 201010 ईमेलः - pg.rashmiyadav@gmail.com
8.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	07.09.2026
9.	प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैः	वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच V ने **10.08.2026** को **कामा ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड** की व्यक्तिगत गारंटर सुश्री रश्मि यादव के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है **(आदेश की प्रति 11.08.2026 को प्राप्त हुई)**।
कामा ट्रांसपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर सुश्री रश्मि यादव के लेनदारों से एतद्द्वारा आह्वान किया जाता है कि वे **07.09.2026 को या उससे पहले** प्रविष्टि संख्या 5 या 6 के सामने उल्लिखित पते पर समाधान पेशेवर के समक्ष प्रमाण सहित अपने दावे प्रस्तुत करें। लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
दावे के झूठे या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।

देवाशीष नंदा
समाधान पेशेवर
सुश्री रश्मि यादव के मामले में

दिनांकः 16.08.2026
स्थान : दिल्ली
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-003/IP-N00040/2017-18/10316

EMBASSY
एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड

(पूर्व में इक्विनॉक्स इंडिया डेवलपमेंट्स लिमिटेड)
सीआईएनः L45101HR2006PLC095409
पंजीकृत कार्यालयः कार्यालय संख्या 01-1001, वीवर्क, ब्लू वन स्क्वायर, उद्योग विहार फेज 4 रोड, गुरुग्राम -122016
फोनः (0124) 4609559, **ईमेलः** ir@embassyindia.com, **वेबसाइटः** www.embassyindia.com

20वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग एवं बुक क्लोज़र की सूचना

सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")**, उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित **("सेबी एलओडीआर विनियम")** तथा मंत्रालय द्वारा जारी लागू परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **("सेबी")** द्वारा जारी लागू परिपत्र **("प्रासंगिक परिपत्र")** सम्मिलित हैं, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **एम्बेसी डेवलपमेंट्स लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों की 20वीं वार्षिक आम बैठक ("वार्षिक आम बैठक") **मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 को प्रातः 11:30 बजे**, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम **("ओएवीएम")** के माध्यम से, सदस्यों की किसी सामान्य स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना, 10 अगस्त, 2026 दिनांकित वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित की जाएगी। वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही कंपनी के गुरुग्राम, हरियाणा स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक आम बैठक की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा उससे संलग्न किए जाने हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज **("वार्षिक रिपोर्ट")** शामिल हैं, 16 अगस्त, 2026 को उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट **("आरटीए")** अथवा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट **("डीपी")** के पास पंजीकृत है।

इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर विनियम 36(1)(इ) के अनुसार, वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट के वेब लिंक, क्यूआर कोड तथा विस्तृत एक्सेस पाथ से संबंधित सूचना उन सदस्यों को अलग से भेजी गई है, जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है। वार्षिक आम बैठक में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के इच्छुक सदस्य वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।

वार्षिक आम बैठक की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट **www.embassyindia.com**; स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड **("बीएसई")** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **("एनएसई")** की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com**; तथा रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट **("आरटीए")**, केएफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर भी उपलब्ध हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014, के नियम 10 (यथा संशोधित) और सेबी एलओडीआर विनियम 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक **बुधवार, 2 सितंबर, 2026 से मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित)** 20वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से वार्षिक समापन हेतु बंद रहेगा।

अधिनियम की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 (यथा संशोधित), एलओडीआर विनियम 44 तथा प्रासंगिक परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है तथा वीसी / ओएवीएम और ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केएफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड **("केफिनटेक / आरटीए")** की सेवाएँ प्राप्त की गई हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम में भाग लेने तथा ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया वार्षिक आम बैठक की सूचना में दी गई है। वार्षिक आम बैठक की सूचना में उन शेयरधारकों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया/विवरण भी दिया गया है, जो भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं और जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी, आरटीए अथवा अपने संबंधित डीपी के पास पंजीकृत नहीं कराया है।

इसके अतिरिक्त, सूचित किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा **("रिमोट ई-वोटिंग")** तथा वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा **("इंस्टा-पोल")** का लाभ उठाने हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 **("कट-ऑफ तिथि")** होगी। जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा इंस्टा-पोल की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा वीसी / ओएवीएम सुविधा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

वीसी से लिंक करें	https://emeetings.kfintech.com/
रिमोट ई-वोटिंग के लिए लिंक	व्यक्तिगत सदस्यों के लिए: https://www.evoting.nsdl.com/ (एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में सिक्योरिटीज़ रखने वाले) https://www.cdslindia.com/ (सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में सिक्योरिटीज़ रखने वाले) गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए: https://evoting.kfintech.com
रिमोट ई-वोटिंग या इंस्टा-पोल के माध्यम से मतदान करने के हकदार सदस्यों का निर्धारण करने हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 सदस्यों के मतदान अधिकार मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे।
रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ	शनिवार, 5 सितंबर, 2026 को प्रातः 10:00 बजे।
रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति	सोमवार, 7 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे।

एक बार सदस्य/सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर अपना मत दे दिए जाने के पश्चात, उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा 7 सितंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे निष्क्रिय कर दी जाएगी और इसके पश्चात सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं कर सकेंगे। तथापि, उन सदस्यों को, जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं दिया है, मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए वार्षिक आम बैठक के दौरान इंस्टा-पोल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे पुनः मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अथवा वे सदस्य जिन्होंने कंपनी/ आरटीए / डीपी के पास अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, अथवा वे व्यक्ति जो वार्षिक आम बैठक की सूचना भेजे जाने के पश्चात कंपनी के सदस्य बने हैं और **कट-ऑफ तिथि अर्थात 1 सितंबर, 2026** को शेयर रखते हैं, तथा वे सदस्य जो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त/जनरेट कर सकते हैं तथा दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा वार्षिक आम बैठक के दौरान इंस्टा-पोल के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं। विस्तृत निर्देश वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए हैं, जो कंपनी की वेबसाइट **www.embassyindia.com**; स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड **("बीएसई")** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **("एनएसई")** की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com**; तथा केफिनटेक की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर उपलब्ध हैं।

वार्षिक आम बैठक की सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ई-मेल आईडी के पंजीकरण/अद्यतन की प्रक्रियाः

a) **वे सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं** और जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे विधिवत भरे और हस्ताक्षरित Form ISR-1 तथा अन्य संबंधित दस्तावेज कंपनी के आरटीए अर्थात केएफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम बिल्डिंग, टावर-बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत-500 032 को प्रस्तुत करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराएं। आवश्यक फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://embassyindia.com/mandatory-furnishing-of-pan-and-kyc-details-by-shareholders-holding-shares-of-the-company-in-physical-form/ तथा आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.asp